न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः – **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

अपील संख्याः **2019/04** दायर दिनांक **26.07.2019**

अपीलार्थी **बनाम्**

1. चुंका देवी बैवा रामेश्वरलाल
2. कन्हैयालाल पुत्र बंशीलाल समस्त जातिगण बावरी निवासीगण सिंघाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

प्रत्यर्थीगण

1. विमला देवी पत्नि भागुराम जाति बावरी निवासी सिंघाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
2. चैनाराम पुत्र कानाराम जाति बावरी निवासी देवला जी के पास कुचामन रोड़ जुसरी तहसील मकराना जिला नागौर राज0
3. विजय पुत्र शंकरलाल जाति बावरी निवासी बावरी बस्ती, वार्ड सं0 37, सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
4. राकेश, सरपंच ग्राम पंचायत सिंघाना
5. प्रमिला,पटवारी, पटवार हल्का सिंघाना
6. चम्पा देवी पत्नि बंशीलाल
7. प्रहलाद पुत्र रामेश्वर
8. ताराचन्द पुत्र बंशीलाल
9. पनालाल पुत्र बंशीलाल
10. मालाराम पुत्र मोतीलाल
11. पूर्णाराम पुत्र चन्द्राराम समस्त जाति बावरी निवासी सिंघाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

अपील, अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट
अपील विरूद्ध नामान्तरकरण प्रविष्टी सं0 656 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत, सिंघाना दिनांक 07.06.2019 को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील अपीलार्थी।
2. श्री पूर्णसिंह बोहरा वकील रेस्पोडेंट सं0 02 व 03 की ओर से।
3. श्री नागपाल सिंह रेस्पोडेंट सं0 06 ता 10 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 22.07.2022

यह है कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा सिंघाना खेत खसरा सं0 646/17 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा की भूमि अपीनार्थीगण व अन्य की पुश्तैनी सहकब्जे काश्त व सहखातेदारी की भूमि थी। उक्त भूमि के संबन्ध में अपीलार्थीगण कन्हैयालाल, चुका देवी के साथ चम्पादेवी व प्रहलाद ने एक राजस्व वाद सहायक डीडवाना के समक्ष पेश कर कथन किया कि विमला बैवा भागुराम निवासी सिं[illegible] राज0 के साथ खसरा सं0 646/17 रकबा 05 बीघा 11 बिस्[illegible] में वादीगण व ताराचन्द, पन्नालाल, पूर्णाराम व मा[illegible] किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:58:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

जावें। उक्त वाद में सहायक कलक्टर, डीडवाना ने दिनांक 23.05.2018 को राजस्व वाद सं0 89/2017 में आदेश पारित कर खसरा सं0 646/17 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान दर्ज खातेदार रेस्पोडेंट विमला पत्नि भागुराम के साथ वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 19 ता 21 को भी सहखातेदार काश्तकार घोषित कर दिया एवं राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करने की डिक्री जारी कर दी। फिर वाद सं0 89/2017 के निर्णय दिनांक 23.05.2018 की पालना में सहायक कलक्टर डीडवाना ने दिनांक 23.05.2018 को राजस्व वाद सं0 89/2017 में आदेश पारिज कर खसरा सं0 646/17 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान दर्ज खातेदार रेस्पोडेन्ट विमला पत्नि भागुराम के साथ वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 19 ता 21 को भी सहखातेदार काश्तकार घोषित कर दिया एवं राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करने की डिक्री जारी कर दी। फिर वाद सं0 89/2017 के निर्णय दिनांक 23.05.2018 की पालना में सहायक कलक्टर डीडवाना ने तहसीलदार डीडवाना को आदेश की पालना में दिनांक 05.06.2018 को पटवारी हल्का, सिंघाणा को आदेश पारित किया कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावें।

उक्त निर्णय के खिलाफ रेस्पोडेंट विमला ने राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर निर्णय की पालना स्थगित करने व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित कर दिया। लेकिन रेस्पोडेन्ट विमला के मन में धोखा था एवं रेस्पोडेन्ट विमला ने दिनांक 11.03.2019 को पेशी के बीच में ही राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष पत्रावली तलब करवाकर दिनांक 29.05.2018 का पारित स्थगन आदेश निरस्त करने का आदेश प्रस्तुत कर स्थगन आदेश को अपास्त करवा लिया। जिसकी प्रति पटवारी हल्का को दी गई। जिससे पटवारी हल्का का यह दायित्व था कि राजस्व वाद सं0 89/2017 निर्णय दिनांक 23.05.2018 की पालना सुनिश्चित कर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें। लेकिन पटवारी हल्का सिंघाना व रेस्पोडेन्ट विमला से मिलावट कर उक्त म्यूटेशन प्रार्थीगण के नाम निर्णय की पालना में नही भरा एवं न्यायालय की डिक्री व आदेश को अपने कूटरचित दिमाग से विफल करने के उद्धेश्य से 646/17 रकब 05 बीघा 11 बिस्वा का बैचाण रेस्पोडेन्ट चेनाराम पुत्र कानाराम जाति बावरी जूसरी के रेस्पोडेन्ट विजय पुत्र शंकरलाल जाति बावरी निवासी सुजानगढ़ के नाम करवा दिया एवं पटवारी हल्का ने यह जानते हुए कि उक्त खसरा सं0 न्यायालय के डिक्री आदेश के अधीन है एवं सम्पूर्ण खेत खसरा सं0 646/17 की खातेदारी विमला देवी नही है एवं डिक्री के अनुसार अपीलार्थी व अन्य लोग भी खातेदार है, इसके बावजूद पटवारी हल्का व विमला देवी ने आपस में मिलावट कर निर्णय की जानकारी इन दोनो को होते हुए भी विक्रय–पत्र अनजान लोगों के हक में निष्पादित व पंजीबद्ध करवा दिये व पश्चात सारी स्थिति की जानकारी होते हुए भी पटवारी हल्का ने उक्त भूमि नामान्तकरण संबन्धित खरीदारों चेनाराम व विजय के हक में दिनांक 07.06.2019 को नामान्तकरण सं0 656 के द्वारा खसरा सं0 646/17 का नामान्तकरण कर दिया। इस प्रकार विमला ने आपराधिक षड़यन्त्र रचकर तहसीलदार, डीडवाना व पटवारी हल्का, सिंघाना से मिलावट व सांठ–गांठ कर षड़यन्त्र के अनुसरण में न्यायालय के आदेश को विफल करने व अपीलार्थी को उनके हिस्से से वंचित रखते हुए उन्हें सआशय सदोष हानि कारित करने व स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाने की गरज से उक्त तमाम कार्यवाही षड़यन्त्र पूर्वक व योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी है एवं कूटरचित म्यूटेशन विमला को लाभ पहूंचाने के उद्धेश्य से स्वीकार किया गया व भरा गया है, जो गम्भीर प्रकृति का आपराधिक कृत्य व दुष्कृत्य तथा अपने पदीय कर्तव्यों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। सम्पूर्ण कागजात की फोटो प्रति अपील के साथ प्रस्तुत है तथा नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि भी अपील के साथ प्रस्तुत है, उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:58:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

अपील के आधार

यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः आदेश अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत आदेश अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः आदेश अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश अधिन अपील पारित करने में घोर त्रृटि की है, अतः आदेश अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि वादित खसरा नम्बर वाकै सरहद सिंघाना खसरा सं0 646/17 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा की भूमि अपीलार्थी पक्ष व रेस्पोडेन्ट विमला की पैत्रिक सम्पति की भूमि होकर स्व0 मानाराम के वारिसानकी जिस बाबत अपीलार्थी पक्ष ने न्यायालय सहायक कलक्टर की अदालत में वाद प्रस्तुत कर निर्णय अनुसंार खातेदारी प्राप्त की है। जिससे यह नामान्तकरण काबिले निरस्त है।

यह है कि अपीलार्थी पक्ष ने राजस्व वाद सं0 89/17 में निर्णय दिनांक 23.05.2018 को आदेशानुसार एवं डिक्री पालना क्रमांक 89–2017/रीडर/2018/566 दिनाकं 29.05.2018 की अनुपालना हेतु भी तहरीर जारी हो गयी। जिसकी जानकारी पटवारी हल्का को भी थी, मगर रेस्पोडेंट विमला ने पटवारी हल्का, सिंघाना से सांठ–गांठ कर उक्त न्यायालय आदेश को विफल करने के आशय से अपीलार्थी पक्ष को सदोष हानि पहूंचाने की गरज से उक्त नामान्तकरण स्वीकार किया है, जो काबिले निरस्त है।

यह है कि रेस्पोडेन्ट विमला देवी ने बिना किसी प्रतिफल लिये रेस्पोडेंट सं0 01 व 02 अपने निकट के रिश्तेदार को बेचाण दौराने वाद (अपील) किया है। जो धारा 52 टी.पी. एक्ट से भी बार्ड है। जिससे भी यह नामान्तकरण काबिले निरस्त है।

यह है कि रेस्पोडेन्ट विमला द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में पारित स्थगन आदेश निरस्त किया जावें, मगर रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी पक्ष को धोखा व षड़यन्त्र करने के आशय से न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन की नकल नही दी एवं न्यायालय को भी गुमराह कर स्थगन आदेश निरस्त करवा लिया, मगर रेस्पोडेंट पटवारी हल्का ने सहायक कलक्टर के आदेश की प्रथमतः पालना करनी थी, जो नही की। जिससे भी यह अपील प्रथम दृष्टया की काबिले निरस्त है।

यह है कि अपीलार्थी पक्ष को उक्त नामान्तकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 29.06.2019 को होने पर संन्धित उच्च अधिकारी एवं फौजदारी प्रकरण हेतु पुलिस थाना, डीडवाना को प्रथम सूचना रिपोट सं0 152/19 की प्रस्तुत की एवं उक्त नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति दिनांक 02.07.2019 एवं तत्पश्चात दिनांक 17.07.2019 को प्राप्त करने से हुई। इससे पूर्व अपीलार्थी पक्ष को उक्त प्रकरण की जानकारी नही थी। जिससे अपील अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 656 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:58:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

बहस सुनी गई। उभयपक्ष ने अपनी बहस में निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 656 को अधीन अपील अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट को नाम बतौर खातेदार दर्ज फरमाया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट नामान्तकरण संख्या 656 को अधीन अपील अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज फरमाया जाने पर सहमत है।

अतः तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोनोपरान्त अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रत्यर्थीगण संख्या 01, 04, 05, 08 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकील अपीलार्थीगण की बहस मुख्यतः अपील पर आधारित रही।

अतः म्यूटेशन संख्या 656 दिनाँक 07.06.2019 द्वारा ग्रामपंचायत सिंघाना, खारिज किये जाने योग्य होने से, अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है।

—:: आदेश ::—

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर मौजा सिंघाना, सरपंच ग्राम पंचायत सिंघाना के आराजी से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 656 दिनांक 07.06.2019 को अपास्त किया जाता है।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 22.07.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:58:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner